निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)
प्रकरण संख्या 17/2020 (रसद अपील)

ताराचन्द पुत्र श्री हीरालाल, प्राधिकारधारक उचित मूल्य दुकान संख्या 77 जयपुर शहर, निवासी 3447, कोठी कोलियान, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व इकतरफा आदेश व निर्णय दिनांक 04.06.2020 जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 517/2019 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 77 जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त करने व 21,330/–रूपये राजकोष में जमा किये जाने के आदेश दिनांक 16.07.2020 जारी किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री के. डी. शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 09.03.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ताराचंद प्राधिकारधारक उचित मूल्य दुकानदार दुकान संख्या 77, जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 04.06.2020 से निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने एवं प्रकरण संख्या 517/2019 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2020 द्वारा 21330/–रूपये राज कोष में जमा कराने के आदेश से व्यथित हो कर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान संख्या 77, जयपुर शहर का प्राधिकारधारक है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतदपश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र संख्या 948/05 मिला हुआ है, अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य

जिला कलक्टर
जयपुर

सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। दिनांक 26.11.2019 को सुश्री कविता शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दुकान संख्या 77 के विरूद्ध प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं कार्यालय में श्री एम. एन. खान से प्राप्त शिकायत के आधार पर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपने इकतरफा आदेश द्वारा दिनांक 19.12.2019 को अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलम्बित करने का आदेश पारित कर अपीलार्थी को दिनांक 15.02.2020 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें निम्न अनियमितताओं का उल्लेख किया गया। आप द्वारा श्री अब्दुल गफ्फार के राशन कार्ड संख्या 119005408944 में अकिल खान का आधारकार्ड संख्या 288501618871 लगाकर माह सितम्बर 2017, मई 2018 एवं जून 2018 में 135 किलोग्राम गेहूँ का अवैध आहरण किया गया है, जो गबन की श्रेणी में आता है। जबकि अब्दुल गफ्फार के राशनकार्ड में अंकित नाम का कोई सदस्य दर्ज नहीं है। अवैध रूप से निकाले गये 135 किलोग्राम गेहूँ की वर्तमान बाजार मूल्य 20/–प्रति किलोग्राम के हिसाब से राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। दिनांक 26.02.2020 को अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि उक्त नोटिस के क्रम में अब्दुल गफ्फार पुत्र अ. हाकिम निवासी मकान नम्बर 3349 कांच की छबील, गीजगढ ठाकुर का रास्ता मौहल्ला महावतान चौकडी तोखाना हुजुरी जयपुर जिसका राशनकार्ड नम्बर 119005408944 है। अब्दुल गफ्फार द्वारा राशन का गेहूँ निरन्तर रूप से प्राप्त किया जा रहा है तथा अब्दुल गफ्फार द्वारा कोई शिकायत कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई। दुकान नम्बर 77 ताराचन्द के लिये कोई शिकायत नहीं होने का प्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर दिया गया है। श्रीमती शमीम बेगम पत्नी अब्दुल गफ्फार द्वारा जिला रसद अधिकारी को लिखे गये पत्र की प्रति सलग्न की गई है। नोटिस में वर्णित दिनांक 03.04.2020 व 24.05.2020 को सम्पूर्ण राजस्थान में कोरोना के कारण लॉक डाउन एवं कर्फ्यू होने के कारण जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में कोई लिपिक मौजूद नहीं था तथा दिनांक 04.06.2020 को अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी ने इकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिसकी अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.06.2020 को होने पर अपीलार्थी ने उक्त अपील प्रस्तुत की। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जिस शिकायत के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही संस्थित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया के साथ प्रतियां नहीं भेजी गई। जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना हुई है। जबकि कई न्यायिक निर्णयों में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है जैसे AIR 2016 पटना 148 रामचन्द्र प्रसाद यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य के प्रकरण में इसकी व्याख्या की गई है। अपीलाधीन आदेश में जिन राशनकार्ड धारियो के राशनकार्डो पर अवैध गेहूँ के वितरण का आरोप लगाया है उन राशनकार्ड धारियों को जिला रसद अधिकारी ने न तो साक्ष्य में बुलाया ना राशनकार्डो के बाबत कोई जांच की एवं ना उन राशनकार्ड धारियों से कोई पुछताछ की। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित इकतरफा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2020 निरस्तनीय है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्युत्तर नोटिस व उसके साथ राशनकार्डधारी का प्रार्थना पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है लेकिन जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब

जिला कलक्टर
जयपुर

एवं राशनकार्डधारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय में विवेचित नहीं किया और न ही उन्हे गलत मानने का कोई आधार ही बताया जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व न तो परिवादी का परीक्षण किया, ना अपीलार्थी को उससे प्रतिपरीक्षण करने का कोई मौका दिया, ना राशनकार्ड जब्त किया और ना ही आधार कार्ड जब्त किया और ना ही कोई जांच की। यहा तक कि राशनकार्डधारको को भी नहीं बुलाया ना उनसे परीक्षण किया। आदेश 1976 के खण्ड 3 (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की संख्या 2 के अनुसार कोई भी प्राधिकार धारक राशनकार्डो पर खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ के विक्रय या वितरण पर इन्कार नहीं कर सकता तथा शर्त संख्या 15 के अनुसार उक्त वितरण का इन्द्राज प्राधिकारधारक राशनकार्डो में निर्धारित स्थानो पर करने को पाबन्द है। आदेश 1976 के उक्त प्रावधान सर्वोपरि है तथा उक्त प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा गेहूँ का विक्रय राशनकार्ड धारक को किया गया है जिसका इन्द्राज उपभोक्ता के राशनकार्ड में दर्ज है। राशनकार्ड धारक उपभोक्ता को यह अवसर दिया गया है कि वह किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशनकार्ड पर राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। खाद्य एवं नागरिक विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2016 द्वारा समस्त जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारियों को डिजिटली साक्षरता अभियान के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानदारों को प्रशिक्षण दिये जाने बाबत निर्देश जारी किये गये थे लेकिन उक्त आदेशों की ना तो कोई पालना की गई औ ना ही किसी भी उचित मूल्य दुकानदार को पोस मशीन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 15.02.2020 को जो नोटिस जारी किया उसमें राशनकार्ड संख्या 119005408944 का उल्लेख था जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अपने जवाब के साथ शमीम बेगम पत्नी अब्दुल गफ्फार द्वारा प्रस्तुत स्वीकारोक्ति में गेहूँ लेना स्वीकार किया गया है। इसलिए उक्त गेहूँ की कीमत अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं करवाई गई। जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र इकतरफा में निरस्त करने का आदेश पारित किया है। जहां तक जिला रसद अधिकारी की पत्रावली में आदेशिका को देखा जाये तब दिनांक 26.02.2020 को अपीलार्थी का जवाब शामिल करने के बाद प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं हुई तथा बिना मामले में कोई जांच किये और बिना सुनवाई किये अधिनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह निरस्तनीय है। इस सम्बन्ध न्यायिक निर्णयों में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है जिसमें ए.आई. आर. 2018 झारखण्ड 137 सीताराम पहाडिया बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड उल्लेखनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2020 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

4. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की प्रवर्तन अधिकारनी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यालय के पत्रांक 195 दिनांक 15.02.2020 द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। उचित मूल्य दुकानदार श्री ताराचन्द दुकान संख्या 77 द्वारा श्री अब्दुल गफ्फार खां के राशन कार्ड संख्या 1190005408944 में अकिल खान का आधार कार्ड संख्या 288501618871 लगा कर माह सिम्बर 2017, मई 2018, जून 2018, में 135 किलोग्राम गेहूं व श्री विकाउ साहू के राशन कार्ड संख्या 11900308384 में योगेश कुमार का आधारकार्ड संख्या 878128907907 लगा कर माह जनवरी 2019 से नवम्बर 2019 में 250 किलोग्राम गेहूं व श्री नफीश अहमद के राशनकार्ड संख्या 1190005702308 में

जिला कलक्टर
जयपुर

जशोदा का अधारकार्ड संख्या 898514608844 लगाकर माह जून 2018 में 30 किलो गेहूं तथा श्री मोतीलाल के राशनकार्ड संख्या 119000307892 में सुभहान का आधारकार्ड संख्या 514862761286 लगा कर जून 2018 से सितम्बर 2019 में 375 किलोग्राम गेहूं का अवैद्य आहरण किया गया है। उक्त सभी राशनकार्डो में गलत आधार नम्बर लिंक करके डीलर द्वारा कुल 790 किलोग्राम गेहूं का अवैद्य आहरण किया जाना पाया गया है। उचित मूल्य दुकान संख्या 77 श्री ताराचन्द द्वारा दिनांक 26.02.2020 को केवल अब्दुल गफ्फार खानं राशनकार्ड संख्या 1190005408944 के संबंध में जबाब पेश किया कि उपभोक्ता की कोई शिकायत नही है । अन्य आरोपों के संबंध में कोई जबाब नहीं दिया । डीलर का जबाव संतोषजनक नहीं है। एफ पी एस दुकानदार की जिम्मेदारी होती है कि वह उपभोक्ता के राशन कार्ड में सही आधार कार्ड का सत्यापन करके गेहूं की सही सही निकासी करे। आधार कार्ड को लिंक करने का कार्य उचित मूल्य दुकानदार द्वारा ही किया जाता है । उपभोक्ता के राशन कार्डो में परिवार के अलावा दीगर व्यक्तियों के आधारकार्ड को लिंक करके गेहूं की प्रति माह अवैद्य निकासी राशन डीलर की संलिप्ता के बिना सम्भव नही है। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन किया गया है। इसलिए जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

5. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

6. उचित मूल्य दुकानदार श्री ताराचन्द दुकान संख्या 77 द्वारा श्री अब्दुल गफ्फार खां के राशन कार्ड संख्या 1190005408944 में अकिल खान का आधारकार्ड संख्या 288501618871 लगा कर माह सितम्बर 2017, मई 2018, जून 2018, में 135 किलोग्राम गेहूं व श्री विकास साहू के राशन कार्ड संख्या 11900308384 में योगेश कुमार का आधारकार्ड संख्या 878128907907 लगा कर माह जनवरी 2019 से नवम्बर 2019 में 250 किलोग्राम गेहूं व श्री नफीश अहमद के राशनकार्ड संख्या 1190005702308 में जशोदा का अधारकार्ड संख्या 898514608844 लगाकर माह जून 2018 में 30 किलो गेहूं तथा श्री मोतीलाल के राशन कार्ड संख्या 119000307892 में सुभहान का आधार कार्ड संख्या 514862761286 लगा कर जून 2018 से सितम्बर 2019 में 375 किलोग्राम गेहूं का अवैद्य आहरण किया जाना बताया है किन्तु गेहूँ लिये जाने पर उसके मुखिया को वस्तुस्थिति की जांच करने के लिए तलब नहीं किया गया है। आधारकार्ड डबल मिलना नहीं पाया गया है और न ही आधार कार्ड को फर्जी सिद्व कर पाये है। राशनकार्डो पर अन्य के आधार कार्ड किस के द्वारा कब लिंक किये गये, इसकी कोई जांच नहीं की गई। राशनकार्ड धारक को एवं जिनके आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है, उनसे कोई जांच नहीं की गई, न ही उनके बयान लिये गये । इस बात की भी जांच नहीं की गई कि क्या एक ही आधार कार्ड से दो बार गेहूं उठाये गये है ? क्या आधारकार्ड किसी डीलर द्वारा लिंक किये गये है या किसी ई मित्र केन्द्र द्वारा। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रोपर तरीके किया जाना नहीं पाया गया है। ऐसे मामले कई उचित मूल्य दुकानों पर पाये गये है जिनमें से कुछ मामलों में केवल गेहूं की राशि जमा कर छोड दिया गया जबकि अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि भी जब्त सरकार कर ली गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

इस प्रकार एक ही तरह की अनियमिता के मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा अलग अलग सजा से दण्डित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

7. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.06.2020 व आदेश दिनांक 16.07.2020 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते है, तो प्रकरण में संबंधित राशनकार्डधारी उपभोक्ता एवं आधारकार्डधारी के बयान लेकर संबंधित राशनकार्ड एवं आधारकार्ड की जांच करें । आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है या नहीं एवं यदि गलत लिंक किये गये है तो किसके द्वारा आदि तथ्यों की पैरा 6 में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर जांच करें एवं अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

9/3/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर